

एस० पी० एम० यू० एन० एच० एम०
पंत्राक्षर ५९५४ दिनांक ११.८.१८ | १८

49

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरदोई।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
हरदोई।

संख्या :— एन०एच०एम० / एम०एण्डर्ड० / 2018-19 / 989 / ३२५७

दिनांक: २०.०८.२०१८

विषय:-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण
हेतु उपलब्ध करायी गयी वाहन की सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद हरदोई में अनुबन्ध के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्रियाशील अनुबंधित वाहन की सूची जिनका वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु पुर्णअनुबन्ध पत्र संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2018-19 में वाहन अनुबंधित करने हेतु ई-निविदा की कार्यवाही चल रही है। ई-निविदा के उपरान्त अनुबंधित सेवा प्रदाता/वाहन का अनुबन्ध कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आपको प्रेषित कर दिये जायेंगे।

Gm(me)

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करे।

Afzal

संलग्नक—यथोक्त।

२१/०८/१८

भवदीय

Mur

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरदोई।

पृष्ठांकन व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
2. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ बण्डल, लखनऊ।

Updated

PC
95°
23/8/18

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरदोई।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई।

संख्या—आरसीएच/मानीटरिंग/2018-19/ ३२१३

दिनांक १८.०८.१८

सेवा प्रदाता सहयोगात्मक पर्यवेक्षण वाहन,
संलग्न सूची के अनुसार, जनपद हरदोई।

विषय:- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मे वाहन व्यवस्था के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वाहन उपलब्ध कराने के अनुबन्ध के क्रम में निम्न निर्देशों के साथ आपको निर्देशित किया जाता है कि आप संलग्न सूची के अनुसार सामू०/प्रा०स्वा०केन्द्र, जनपद हरदोई पर अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामू०/प्रा०स्वा०केन्द्र संबंधित इकाई प्रभारी हरदोई को अंकित वाहन सहित प्रस्तुत होकर उनके निर्देशन में नियमानुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।

1. वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:-
 - वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
 - वाहन में प्राथमिक उपचार किट होना चाहिये।
 - वाहन में पैट्रोल/डीजल आपद्वारा भरवाया जायेगा।
 - दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व आपकी काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
- iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।
- iv. वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि आप द्वारा वहन किया जायेगा।
- v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रखरखाव आपद्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में आपको अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। आप द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
2. आप सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु०-25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ०डी०आर० के रूप में बंधक होगी, अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा आपको वापस करनी होगी।
3. आप वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
4. वाहन चालक की व्यवस्था आप द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। आपद्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये आप यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के पत्र सं०-७५५०-२, दिनांक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/आपको निविदा में प्रस्तुत धनराशि सूची में अंकित का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर आप द्वारा देय होंगे। यदि आप द्वारा अनुबन्ध की शर्त पूर्ण नहीं की जाती है, तो भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से स्तत्तरतायी होगें।

साहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत टैक्सी परमिट की अनुबन्धित वाहन की सूचना जनपद हरदोई

कार्ड का नाम	वाहन गालिक का नाम	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	एस अनुच्छ की तिथि	दर	इकाई मात्रा
नपद स्टर	तिकास निवेदी ग्राम व पोस्ट मंसूर नगर हरदोई	UP30T8615	Bolero	14.02.14	30,000.00	डॉ विजय कुमार उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी
नपद स्टर	अस्वनी कुमार तिवारी फरीदपुर, लखनऊ	UP32FN7351	Bolero	31.03.16	29,400.00	डॉ प्रभिला तिरंजन, उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी
हिरोसी	दुर्वा कुमार कुरिया, हरदोई	UP30AB9377	Bolero	22.01.16	29,000.00	अर्धी / प्राठिदिव030
वन	संगीता द्विवेदी, 77, आलूथोक, हरदोई	UP30TT7497	Bolero	28.02.15	30,000.00	अर्धी / प्राठिदिव030
शावन	सुरेन्द्र कुमार, नायक नगर, लखनऊ	UP32EN3755	Bolero	30.11.13	29,990.00	अर्धी / प्राठिदिव030
ताप्रास	जितेन्द्र कुमार, बिलग्राम, हरदोई	UP30T8665	Bolero	17.02.14	29,500.00	अर्धी / प्राठिदिव030
स्थिवार्द	विपिन कुमार निवेदी, मसूरनगर, हरदोई	UP30N7636	Bolero	22.10.13	29,990.00	अर्धी / प्राठिदिव030
रापालपुर	अमरपाल, गाम बाजारी, हरदोई	UP30T8466	ECCO	28.11.13	30,000.00	अर्धी / प्राठिदिव030
गढ़ीना	भारकर सिंह, कछोना, हरदोई	UP30T8527	Bolero	28.11.13	29,990.00	अर्धी / प्राठिदिव030
धोगंज	प्रदीप कुमार बिलग्राम, हरदोई	UP30AT1265	Bolero	22.01.16	30,000.00	अर्धी / प्राठिदिव030
ललावीर	रेणु वर्मा, कुरसठ, हरदोई	UP30AT0304	Bolero	22.01.16	29,900.00	अर्धी / प्राठिदिव030
पेहानी	रामरक्ष पाल, बखरिया, हरदोई	UP30T8554	Bolero	13.02.14	29,500.00	अर्धी / प्राठिदिव030
गण्डी	सचिव कुमार भीखपुर, सांझी, हरदोई	UP30V5899	Bolero	22.10.13	30,000.00	अर्धी / प्राठिदिव030
गुरसा	रंजन सिंह कुटी, शाहबाद, हरदोई	UP30Z6556	Bolero	22.01.16	30,000.00	अर्धी / प्राठिदिव030
गढ़ियावं	संगीता द्विवेदी, 77, आलूथोक, हरदोई	UP30T6646	Bolero	28.02.15	30,000.00	अर्धी / प्राठिदिव030
गेडरपुर	तेजपाल सिंह, अब्दुल्लानगर, हरदोई	UP30T8566	Bolero	28.11.13	30,000.00	अर्धी / प्राठिदिव030

Hardeo
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
L. हरदोई।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 418095

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,
जनपद-हरदोई

द्वितीय पक्ष

श्री सुरेन्द्र कुमार, नायक नगर, लखनऊ।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन" के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण" हेतु में आज दिनांक 11.08.2019 को जनपद हरदोई में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि अग्रिम मादेशो तक / अग्रिम निविदा तक अथवा दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जो भी पहले हो तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र, भरावन में "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन" के अन्तर्गत वाहनों को संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेटो UP32EN3755 की इस अनुबन्ध के प्रस्तार 6 में अंकित किराये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन में निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:-

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन लूपलड़ा कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के

✓ मुमुक्षु कुमार

मुमुक्षु

अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु0-25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ०डी०आर० के रूप में बंधक होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के 7550-2, दिनांक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रु0-29,990.00 का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आईटा को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
स्थान— हरदोई

दिनांक: ०१/०४/२०१४

Munshi

(प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर.....*मुरीदूर्मुखी*.....(द्वितीय पक्ष)

गवाह

1.*मुरीदूर्मुखी (B.R.M) भरावन*

2.

✓



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 400307

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,
जनपद-हरदोई

द्वितीय पक्ष

श्री रामरक्ष पाल, बखरिया, हरदोई।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण” हेतु मे आज दिनांक ०५/०४/२०१९ को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि अग्रिम आदेशों तक / अग्रिम निविदा तक अथवा दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जो भी पहले हो तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्र, पिहानी मे “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेटो UP30T8554 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित कियाये / दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:-

- वाहन टैक्सी कोठे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पैट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति मे द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के

वांगूरक्ष पाल / छंडे

Mural

अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु0-25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के 7550-2, दिनांक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रु0-29,500.00 का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आहता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।


9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
स्थान— हरदोई


दिनांक: ७१०८/२०१४


(प्रथम पक्ष)


हस्ताक्षर..... १. १०९५४८८८८८८८८.....(द्वितीय पक्ष)

गवाह

1.

2. 
अमृता राज ठाकुर
पंजरना अमृता राज



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 603281

प्रथम पक्षकार

अनुबन्ध पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,
जनपद-हरदोई

द्वितीय पक्ष

श्रीमती रेनू वर्मा, कुरसठ, हरदोई।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन" के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण" हेतु मे आज दिनांक ३०/०५/२०१८ को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि अग्रिम आदेशों तक/अग्रिम निविदा तक अथवा दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जो भी पहले हो तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्र, मल्लावा मे "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन" के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेटो UP30AT0304 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:-

- वाहन टैक्सी कोटे मे पंजीकृत होना चाहिये।

- वाहन मे प्राथमिक उपचार किट हो।

- वाहन मे पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत मे रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति मे द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के

रेनू वर्मा

✓

June 2018

अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरेपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु0-25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर, प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के 7550-2, दिनांक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रु0-29,900.00 का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आहता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
स्थान— हरदोई

दिनांक: ०१/०८/२०१८

हस्ताक्षर..... Neval (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर..... मिशन वार्ष (द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. Amit Singh

2. Chandey



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 645507

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,
जनपद-हरदोई

द्वितीय पक्ष

श्री रंजन सिंह कुली, हरदोई। भूमिती संगी टाइपिंग, २८, अमृपाल, हरदोई

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण” हेतु मे आज दिनांक १०.६.१८ को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि अग्रिम आदेशों तक / अग्रिम निविदा तक अथवा दिनांक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जो भी पहले हो तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्र, टडियांवा मे “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” के अन्तर्गत वाहनों को संचालित करने के सम्बन्ध से निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेरो UP30T6646 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:-

- वाहन टैक्सी कोटे मे पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन मे प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन मे पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय प्रक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत मे रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति मे द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के

रु. ११००

R. S. D. *[Signature]*

अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के 'नाम रु0-25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के 7550-2, दिनांक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रु0-30,000.00 का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आईटा को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।


10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबन्ध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।


12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।


स्थान- हरदोई

दिनांक: ०१/०८/२०१८

हस्ताक्षर.....  (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर.....  (द्वितीय पक्ष)

गवाह 

1. 

71. M. No. 1001
no. 1001

2. 



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 579858

प्रथम पक्षकार

अनुबन्ध पत्र
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,
जनपद—हरदोई

द्वितीय पक्ष

श्री संगीता द्विवेदी, 77 आलूथोक, हरदोई।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण” हेतु में आज दिनांक 01.04.18 को जनपद हरदोई में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि अग्रिम में आदेशों तक/अग्रिम निविदा तक अथवा दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जो भी पहले हो तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के सामु/प्राप्तव्यों के बाबन में “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” के अन्तर्गत वाहनों को संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेटों UP30T7497 की इस अनुबन्ध के प्रस्तार 6 में अंकित कियाये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन में निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:-

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के

रु. ११११

८८

मुख्य

अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु0-25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के 7550-2, दिनांक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रु0-30,000.00 का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आईता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।


9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।


11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।


12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
स्थान— हरदोई

दिनांक: ०१/०८/२०१४

हस्ताक्षर.....  (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर.....  (द्वितीय पक्ष)

गवाह
1. 

2. 



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 640864

प्रथम पक्षकार

अनुबन्ध पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,
जनपद—हरदोई

द्वितीय पक्ष

श्री प्रदीप कुमार, बिलग्राम, हरदोई।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण” हेतु मे आज दिनांक ०१.०५.१८ को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि अग्रिम आदेशों तक/अग्रिम निविदा तक अथवा दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जो भी पहले हो तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्र, माधौगंज मे “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेटो **UP30AT1265** की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित कियाये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:-

○ वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।

○ वाहन मे प्राथमिक उपचार किट हो।

○ वाहन मे पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

○ दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति मे द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के

५०१५७७४२

८८

०१

Dinesh

अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरेपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु0-25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के 7550-2, दिनांक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रु0-30,000.00 का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आहता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।


9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।


10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबन्ध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।


12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
स्थान- हरदोई

दिनांक: ७।।०८।२०१४

हस्ताक्षर.....  (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर.....  (द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. 

2. 



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 640863

प्रथम पक्षकार

अनुबन्ध पत्र
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,
जनपद-हरदोई

द्वितीय पक्ष

श्री जितेन्द्र कुमार, बिलग्राम, हरदोई।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा
‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन’ के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी संहयोगात्मक पर्यवेक्षण” हेतु
मेरे आज दिनांक ६.०५.१८ को जनपद हरदोई से सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि अग्रिम
आदेशों तक / अग्रिम निविदा तक अथवा दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जो भी पहले हो
तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्र, बिलग्राम मेरे “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” के
अन्तर्गत वाहनों को संचालित करने के सम्बन्ध मेरे निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेटों UP30T8665 की इस अनुबन्ध के प्रस्तार 6 मेरे
अंकित कियाये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मेरे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:-

- वाहन टैक्सी कोटे मेरे पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन मेरे प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन मेरे पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी
पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के
तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि

द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत मेरे रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय
पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति मेरे द्वितीय
पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के

जितेन्द्र कुमार

✓ ✓

Mehta

अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु0-25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर, प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के 7550-2, दिनांक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रु0-29,500.00 का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आईटा को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है। स्थान- हरदोई

दिनांक: ६।०८।२०१८

हस्ताक्षर..... Murali (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर..... द्वितीय पक्ष (द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. कृष्ण प्रभु

2.

✓



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 609945

प्रथम पक्षकार

अनुबन्ध पत्र
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,
जनपद--हरदोई

द्वितीय पक्ष

श्री अमरपाल सिंह ग्राम वण्डारी, हरदोई।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु आज दिनांक ३१.५.२०१८ को जनपद हरदोई में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि अग्रिम आदेशों तक / अग्रिम निविदा तक अथवा दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जो भी पहले हो तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्र, हरपालपुर में "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन" के अन्तर्गत वाहनों को संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेटों UP30T8466 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 में अंकित किराये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन में निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:-

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा।

अमरपाल सिंह

व &

१

Nevel

अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु0-25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफडी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के 7550-2, दिनांक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रु0-30,000.00 का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आहता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबन्ध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण भांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
स्थान- हरदोई

दिनांक: ०१०८।१३।१४

हस्ताक्षर..... (प्रथम पक्ष)

or 8

हस्ताक्षर..... (द्वितीय पक्ष)
उमर पाल सिंह

गवाह

1. लैण्डलाइन नम्बर अंबुलान्स परिवहन अनुबन्ध २०१८

2. -----

✓



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EH 384076

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,
जनपद—हरदोई

द्वितीय पक्ष

श्री अश्वनी कुमार तिवारी, फरीदपुर, हरदोई।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण” हेतु मे आज दिनांक ०१.०६.१८ को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि अग्रिम आदेशो तक /अग्रिम निविदा तक अथवा दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जो भी पहले हो तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के जनपद स्तर पर मे “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेटो UP32FN7351 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:-

- वाहन टैक्सी कोटे मे पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन मे प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन मे पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति मे द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा।

अधिकारी शुभमा २१ तिवारी

✓ & ✓

✓

June

अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु0-25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के 7550-2, दिनांक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रु0-29,400.00 का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आहता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
स्थान— हरदोई

दिनांक: ०१/०८/२०१६

...............(प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर...............(द्वितीय पक्ष)
कारोबारी सुविधा लखनऊ

९३४९९२१७१३

गवाह

1. लक्ष्मीदहुरा पांडे
व्यावसायिक व्यापारी
९४५३५७७९७६७

2.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 620311

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,
जनपद-हरदोई

द्वितीय पक्ष

श्री विकास त्रिवेदी, ग्राम व पोस्ट मंसूरनगर, हरदोई।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण” हेतु मे आज दिनांक ०१।०६।।१८ को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि अग्रिम आदेशो तक / अग्रिम निविदा तक अथवा दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जो भी पहले हो तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के जनपद स्तर पर मे “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेरो UP30T8615 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित कियाये/ दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:-

- वाहन टैक्सी कोठे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति मे द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के

विकास त्रिवेदी

✓

Murali

अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु0-25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल 'उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के 7550-2, दिनांक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रु0-30,000.00 का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आईटा को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान— हरदोई
दिनांक: ०१/०९/१४

हस्ताक्षर..... (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर..... विराश लिंगपुर (द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. - रेजन्म. महेश्वर लिंगपुर
9999258363

2.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 609780

प्रथम पक्षकार

द्वितीय पक्ष

अनुबन्ध पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,

जनपद—हरदोई

श्री विपिन कुमार त्रिवेदी पुत्र श्री शम्भूनाथ त्रिवेदी, ग्राम व पोस्ट मंसूरनगर,
हरदोई।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा
“राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण” हेतु
मेरे आज दिनांक १०.०१.१८ को जनपद हरदोई मेरे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि अग्रिम
आदेशों तक/अग्रिम निविदा तक अथवा दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जो भी पहले हो
तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के सामु०/प्रामाणिकेन्द्र, हरियांवा मेरे “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” के
अन्तर्गत वाहनों को संचालित करने के सम्बन्ध मेरे निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेटों UP30N7636 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मेरे

अंकित कियाये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मेरे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये।

○ वाहन टैक्सी कोटे मेरे पंजीकृत होना चाहिये।

○ वाहन मेरे प्राथमिक उपचार किट होना चाहिये।

○ वाहन मेरे पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

○ दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी
पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के
तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख—रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि

द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत मेरे रखने एवं वाहन की साफ—सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय
पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति मेरे द्वितीय
पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के

विपिन कुमार

[Signature]

अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु0-25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष हुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियन्त्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के 7550-2, दिनांक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रु0-29,990.00 का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।


10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
स्थान— हरदोई

दिनांक: ०१/०८/२०१४

 (प्रथम पक्ष)

 (द्वितीय पक्ष)
हस्ताक्षर.....

गवाह

1. श्री महेश्वर ठारी - डॉ. पंकज रामानू द्वारा
98 392 48363

2.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 560031

प्रथम पक्षकार

अनुबन्ध पत्र
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,
जनपद—हरदोई

द्वितीय पक्ष

श्री दुर्गेश कुमार पुत्र श्री रज्जन लाल, ग्राम अनंग बेहट खेडा पो० कुरिया, बाबन,
हरदोई।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा
“राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण” हेतु
मेरे आज दिनांक ३०.५.१८ को जनपद हरदोई मेरे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि अग्रिम
आदेशों तक अथवा दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जो भी पहले हो
तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्र, अहिरोरी मेरे ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन’ के
अन्तर्गत वाहनों को संचालित करने के सम्बन्ध मेरे निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेटों UP30AB9377 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मेरे
अंकित कियाये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मेरे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:-

○ वाहन टैक्सी कोटे मेरे पंजीकृत होना चाहिये।

○ वाहन मेरे प्राथमिक उपचार किट हो।

○ वाहन मेरे पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

○ दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी
पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के
तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के सचालन एवं रख—रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि
द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत मेरे रखने एवं वाहन की साफ—सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय
पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति मेरे द्वितीय
पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के
पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा।

दुर्गेश कुमार

अ. अ. अ.

Mural

अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु0-25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के 7550-2, दिनांक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रु0-29,000.00 का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आईटा को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
स्थान- हरदोई

दिनांक: ०१/०१/१८

हस्ताक्षर..... (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर..... (द्वितीय पक्ष)
उठीकरायुक्त

गवाह

1. अमरपाल सैन हरप्रसाद वक्तव्य पाठ्यक्रम द्वारा

2. -----



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 418339

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,
जनपद—हरदोई

द्वितीय पक्ष

श्री तेजपाल सिंह, अब्दुल्लानगर, हरदोई।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण” हेतु से आज दिनांक ६.५.१८ को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि अग्रिम आदेशों तक/अग्रिम निविदा तक अथवा दिनांक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जो भी पहले हो तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के सामु०/प्राठस्वाठकेन्द्र, टोडरपुर मे “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” के अन्तर्गत वाहनों को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेरो UP30T8566 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित कियाये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:-

○ वाहन टैकसी कोटे, में पंजीकृत होना चाहिये।

○ वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।

○ वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

○ दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन को संचालन एवं रख-रखाव संबंधी सेमर्स्ट व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति मे द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के

तेजपाल सिंह

& ✓ *Mewal*

✓

अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु0-25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिश्न निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के 7550-2, दिनांक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रु0-30,000.00 का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आहता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबन्ध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
स्थान— हरदोई

दिनांक: ०१/०८/२०१४

 (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर..... द्वितीय पक्ष) (द्वितीय पक्ष)

गवाह

1. अमरपाल सिंह पा. साठी बरन्दा फ़ि. ०८२६५५५६७८० मा. १५/०८/२०१४

2. _____





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 609511

प्रथम पक्षकार

अनुबन्ध पत्र
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,

जनपद—हरदोई

द्वितीय पक्ष

श्री रंजन सिंह कुड़ी, हरदोई।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण” हेतु मे आज दिनांक ०५.६.१८ को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि अग्रिम आदेशो तक/अग्रिम निविदा तक अथवा दिनांक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जो भी पहले हो तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्र, सुरसा मे “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेटो UP30Z6556 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:-

- वाहन टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हों।
- वाहन में पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- कुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख—रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।


v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ—सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति मे द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के


Ranjan Singh

Mewal

- अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरेपित करने का अधिकार होगा।
2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु0-25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ०डी०आर० के रूप में बंधक होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के 7550-2, दिनांक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रु0-30,000.00 का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आईटा को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि को परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा वी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है। स्थान- हरदोई

दिनांक: ०१०८।२०१६

 हस्ताक्षर..... (प्रथम पक्ष)

 हस्ताक्षर..... (द्वितीय पक्ष)

गवाह
1. Anil Singh

2. 



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 609946

प्रथम पक्षकार

अनुबन्ध पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,
जनपद-हरदोई

द्वितीय पक्ष

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी, हरदोई के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण' हेतु

मेरे आज दिनांक ०१।०।।४ को जनपद हरदोई मेरे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि अग्रिम

आदेशों तक / अग्रिम निविदा तक अथवा दिनांक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जो भी पहले हो

तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्र, साप्टी मेरे "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन" के

अन्तर्गत वाहनों को संचालित करने के सम्बन्ध मेरे निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेरो UP30V5899 की इस अनुबन्ध के प्रस्तार 6 मेरे

अंकित क्रियाये / दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मेरे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:-

○ वाहन टैक्सी कोठे मेरे पंजीकृत होना चाहिये।

○ वाहन मेरे प्राथमिक उपचार किट होना चाहिये।

○ वाहन मेरे पैट्रोल / डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

○ दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी
पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी वे द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के
तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि

द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत मेरे रखने एवं वाहन की साफ-सफाई वे आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति मेरे द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के

सांख्यिकी

8
८

मुख्य पक्षकार

अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु0-25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के 7550-2, दिनांक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रु0-30,000.00 का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आर्हता को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
स्थान- हरदोई

दिनांक: ३१।०९।२०१४

Minal
हस्ताक्षर..... (प्रथम पक्ष)

Varahi

हस्ताक्षर..... (द्वितीय पक्ष)
साम्यवत्तु) १८

गवाह

1. -----

2. -----



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 457022

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसायटी,
जनपद—हरदोई

द्वितीय पक्ष

श्री भास्कर सिंह, कछौना, हरदोई।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण” हेतु मे आज दिनांक ०१.०५.१८ को जनपद हरदोई मे सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि अग्रिम आदेशों तक/अग्रिम निविदा तक अथवा दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, जो भी पहले हो तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला हरदोई के सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्र, कछौना मे “राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन” के अन्तर्गत वाहनो को संचालित करने के सम्बन्ध मे निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

(i) सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित बुलेटो UP30T8527 की इस अनुबन्ध के प्रस्तर 6 मे अंकित किराये/दर पर उपलब्ध करायेगा।

(ii) वाहन मे निम्न लिखित सुविधाये अनिवार्य होनी चाहिये:-

- वाहन टैक्सी कोठे मे पंजीकृत होना चाहिये।
- वाहन मे प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन मे पैट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

iii. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

iv. वाहन के संचालन एवं रख—रखाव संबंधी संमर्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

v. वाहन को 24 घंटे चालू हालत मे रखने एवं वाहन की साफ—सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति मे द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के

✓
or

Bhawinder Singh

Murali

अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रुपये 300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु0-25,000.00 की धरोहर राशि जो कि एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के 7550-2, दिनांक 23.10.15 के अनुपालन में सेवाप्रदाता/द्वितीय पक्ष को धनराशि रु0-29,990.00 का मासिक भुगतान किया जाएगा। आयकर के अतिरिक्त अन्य कर द्वितीय पक्ष द्वारा देय होंगे। यदि अनुबन्ध में अंकित किसी आईटा को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, भुगतान नहीं किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

8. वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

9. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

10. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

11. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल हरदोई न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है। स्थान— हरदोई

दिनांक: ११०८०५०४

.....
हस्ताक्षर.....
Munshi(प्रथम पक्ष)

.....
हस्ताक्षर.....
Rashmi Singh(द्वितीय पक्ष)

गवाह

1.

2.